



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2014/माघ 10, 1935

No.238]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2014/MAGHA 10, 1935

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2014

का.आ. 290 (अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) और (ख) और धारा 18 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, पेट्रोल या डीजल या द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या सम्पीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के मोटर यान (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मोटर यान कहा गया है), जो यात्रियों और उनके सामान को ढोने के लिए प्रयुक्त होता है और जिसमें ड्राइवर की सीट को मिलाकर नौ सीट से अधिक नहीं हैं, और यान का कुल भार चेसिस डायनमोमीटर पर जांचने पर 3,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है के लिए तद्वारा ऊर्जा खपत मानक उक्त प्रवर्ग के मोटर यानों के विक्रय के लिए विनिर्माण या आयात करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्

2. (1) उक्त मोटर यानों का प्रत्येक विनिर्माता नीचे उपबंधित अनुसार औसत ऊर्जा खपत मानकों के निबंधनों के अनुसार ऊर्जा खपत मानक का पालन करेगा : —

(i) "औसत ईंधन खपत मानक = ए x (डब्ल्यू-बी) + सी

जहां,

ए = स्थिरांक गुणक

औसत ईंधन खपत मानक = विनिर्माता का प्रति 100 किलोमीटर पेट्रोल के समतुल्य लीटर में औसत ईंधन खपत मानक;

बी = नियत स्थिरांक;

सी = नियत स्थिरांक;

डब्ल्यू = विनिर्माता द्वारा विक्रय के लिए विनिर्मित या आयातित उक्त सभी नए मोटर यान का किलोग्राम (कि.ग्रा.) के लदान के बिना भारत औसत;

(ii) गुणक स्थिरांक और नियत स्थिरांक भारत में उक्त मोटर यान के विनिर्माण या आयात के वर्ष पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित सारणी 1.1 और सारणी 1.2 से अवधारित किए जाएंगे, अर्थात्:-

सारणी 1.1

(वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए)

ए	0.0024
बी	1037
सी	5.4922
विनिर्माता के लिए औसत ईंधन खपत मानक	$0.0024 \times (\text{डब्ल्यू}-1037) + 5.4922$

सारणी 1.2

(वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगे के लिए)

ए	0.002
बी	1145
सी	4.7694
विनिर्माता के लिए औसत ईंधन खपत मानक	$0.002 \times (\text{डब्ल्यू}-1145) + 4.7694$

(iii) जहां किसी विनिर्माता के लिए लदान के बिना भार का भारित औसत (डब्ल्यू) निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार संगणित किया जाएगा :-

$$\text{डब्ल्यू} = \frac{\sum \text{एन}_{\text{आई}} \times \text{डब्ल्यू}_{\text{आई}}}{\sum \text{एन}_{\text{आई}}}$$

जहां,

$\text{एन}_{\text{आई}}$ = भारत से संबंधित वित्तीय वर्ष में विक्रय के लिए विनिर्मित या आयात उक्त मोटर यानों के किसी मॉडल आई की संख्या;

$\text{डब्ल्यू}_{\text{आई}}$ = संबंधित वित्तीय वर्ष में किसी मॉडल आई का किलोग्राम में लदान के बिना भार 'I'

(2) केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा सारणी 1.2 में यथा विनिर्दिष्ट 'बी' का मूल्य संशोधित कर सकेगी, परंतु कलैण्डर वर्ष 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 के दौरान विनिर्मित या आयातित सभी यानों का लदान के बिना औसत भार 1145 किलोग्राम से कम है, जिस दशा में उक्त अवधि में सभी यानों का लगान रहित औसत भार 'बी' का मूल्य होगा।

(3) वास्तविक ईंधन खपत का औसत निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किया जाएगा:-

(i) विनिर्माता के लिए प्रति 100 किलोमीटर, लीटर के समतुल्य पेट्रोल में वास्तविक ईंधन खपत का औसत किसी वित्तीय वर्ष में विनिर्मित या आयातित उक्त सभी मोटर यानों की भारित औसत ईंधन खपत है और उसका अवधारण निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार किया जाएगा:-

$$\text{वास्तविक ईंधन खपत का औसत} = \frac{\sum \text{एन}_{\text{आई}} \times \text{एफसी}_{\text{आई}}}{\sum \text{एन}_{\text{आई}}}$$

जहां,

$\text{एन}_{\text{आई}}$ = किसी मॉडल आई के विक्रय के लिए विनिर्मित या आयातित यानों की संख्या,

$\text{एफसी}_{\text{आई}}$ = किसी मॉडल आई की प्रति 100 किलोमीटर, लीटर में पेट्रोल के समतुल्य ईंधन खपत,

(ii) प्रत्येक मॉडल की लीटर में प्रति 100 किलोमीटर ईंधन खपत (एफसी), पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) इंजन यान से तेलपाइप उत्सर्जन के लिए मानकों के ब्यौरों की प्रक्रिया और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट परीक्षण प्रक्रिया से व्युत्पन्न निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार अवधारित की जाएगी :-

(क) प्रत्येक मॉडल में प्रति 100 किलोमीटर (पेट्रोल, एलपीजी या डीजल के मामले में) लीटर के रूप में तथा सीएनजी के मामले में प्रति 100 किलोमीटर घन मीटर में वास्तविक ईंधन खपत निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार संगणित की जाएगी :

$$\begin{aligned} \text{एफसी}_{\text{पेट्रोल}} &= 0.0423 \times \text{सीओ}_2 \\ \text{एफसी}_{\text{डीजल}} &= 0.0373 \times \text{सीओ}_2 \\ \text{एफसी}_{\text{एलपीजी}} &= 0.0615 \times \text{सीओ}_2 \\ \text{एफसी}_{\text{सीएनजी}} &= 0.0558 \times \text{सीओ}_2 \end{aligned}$$

जहां,

सीओ₂ = प्रति किलोमीटर, ग्राम में, कार्बन डाईऑक्साइड का मापित उत्सर्जन,

(ख) डीजल, एलपीजी और सीएनजी मोटर यानों में पेट्रोल के समकक्ष वास्तविक ईंधन खपत उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट वास्तविक ईंधन खपत से नीचे विनिर्दिष्ट परिवर्तित गुणनखंडों के साथ गुणा करके अभिप्राप्त की जाएगी :-

ईंधन का प्रकार	पेट्रोल के समकक्ष परिवर्तित गुणनखंड
डीजल	1.1340
एलपीजी	0.6878
सीएनजी	0.7581

3. 01 अप्रैल, 2016 से आरंभ, अगले किसी वित्तीय वर्ष में, पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट वास्तविक ईंधन खपत संबंधित वित्तीय वर्ष के पैरा 2 के उप-पैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट औसत ईंधन खपत मानक से कम या उसके समान होगी।

4. (1) अनुपालन और प्रवर्तन – भारत में उक्त मोटर यानों के विक्रय करने वाले सभी विनिर्माता या आयातकर्ता ऊपर विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानकों का पालन करेंगे।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन इन मानकों का प्रवर्तन करेगा।

[फा. स. 10/7/2008-ईसी]

ज्योति अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2014

S. O. 290 (E). —In exercise of the powers conferred by clause (a) and (b) of section 14 and section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies energy consumption standard for the motor vehicle of petrol or diesel or liquefied petroleum gas or compressed natural gas, used for the carriage of passengers and their luggage and comprising not more than nine seats including driver's seat, and of Gross Vehicle Weight not exceeding 3,500 kilogram tested on

chassis dynamometer (hereinafter referred to as the said motor vehicle) for the purpose of manufacturing or importing for sale of the said category of motor vehicles, namely:—

2. (1) Each manufacturer of the said motor vehicles shall comply with energy consumption standard in terms of Average Fuel Consumption Standards as provided below:—

(i) “The Average Fuel Consumption Standard = $a \times (W-b) + c$

Where,

a = Constant Multiplier

Average Fuel Consumption Standard = Average Fuel Consumption Standard of manufacturer in petrol equivalent liter per 100 kilometer;

b = Fixed Constant;

c = Fixed Constant;

W = Weighted average of unladen mass in kilogram (kg) of all new said motor vehicle, manufactured or imported for sale by the manufacturer;

(ii) the constant multiplier and the fixed constants shall be determined from the following Table 1.1 and Table 1.2 depending upon the year of manufacturing or import of the said motor vehicle in India, namely:—

Table 1.1

(for fiscal years 2016-17 to 2020-21)

a	0.0024
b	1037
c	5.4922
Average Fuel Consumption Standard for Manufacturer	$= 0.0024 \times (W - 1037) + 5.4922$

Table 1.2

(fiscal year 2021-22 onwards)

a	0.002
b	1145
c	4.7694
Average Fuel Consumption Standard for Manufacturer	$= 0.002 \times (W - 1145) + 4.7694$

(iii) where weighted average Unladen Mass (W) for a manufacturer is calculated as per the following formula:-

$$W = \frac{\sum N_i W_i}{\sum N_i}$$

Where,

N_i = Number of the said motor manufactured or imported for sale in India of a model i in the respective fiscal year;

W_i = Unladen mass in kilogram of a model i in the respective fiscal year.”

(2) The Central Government may, by notification, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency revise the value of ‘b’ as specified in Table 1.2 provided the average unladen mass of all the vehicles manufactured or imported during the calendar year 1st January, 2016 to 31st December, 2016 is less than 1145 kilogram, in which case the average unladen mass of all the vehicles in the said period will be the value of ‘b’.

(3) The Average of Actual Fuel Consumption shall be determined as per the following procedure:—

(i) Average of Actual Fuel Consumption in petrol equivalent liter per 100 kilometer for a manufacturer is the weighted average fuel consumption of all the said motor vehicles , manufactured or imported in a fiscal year and shall be determined as per the following formula:—

$$\text{Average of Actual Fuel Consumption} = \frac{\sum N_i FC_i}{\sum N_i}$$

Where,

N_i = Number of vehicles manufactured or imported for sale of a model i,

FC_i = Petrol equivalent fuel consumption in liter per 100 kilometer of a model i;

(ii) the Fuel Consumption (FC) in liter per 100 kilometer of every model shall be determined as per the following formula derived from the procedure for Details of Standards for Tailpipe Emissions from Petrol, Diesel, Liquefied Petroleum Gas (LPG) and Compressed Natural Gas (CNG) Engine Vehicles and Test Procedure as specified under the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

(a) the actual fuel consumption of every model in terms of the liter per 100 kilometer (in the case of petrol, LPG or diesel) and in cubic meter per 100 kilometer in the case of CNG shall be calculated by the following formulae:

$$\begin{aligned} FC_{\text{petrol}} &= 0.0423 \times CO_2 \\ FC_{\text{diesel}} &= 0.0373 \times CO_2 \\ FC_{\text{LPG}} &= 0.0615 \times CO_2 \\ FC_{\text{CNG}} &= 0.0558 \times CO_2 \end{aligned}$$

Where,

CO_2 = the measured emission of carbon dioxide in gram per kilometer;

(b) the actual fuel consumption in petrol equivalent for diesel, LPG and CNG motor vehicles shall be obtained by multiplying the actual fuel consumption referred to in (a) above with the conversion factors specified below:—

Fuel Type	Conversion Factor to Petrol equivalent
Diesel	1.1340
LPG	0.6878
CNG	0.7581

3. In any fiscal year commencing from 1st April, 2016 onwards, the Average of Actual Fuel Consumption as specified in sub-para (2) of para 2 shall be less than or equal to Average Fuel Consumption Standard as specified in sub-para (1) of para 2 of the respective fiscal year.

4. (1) Compliance and enforcement.- All the manufacturers or importers selling the said motor vehicles in India shall comply with the energy consumption standards specified above.

(2) The Ministry of Road Transport and Highways shall enforce the same under the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

[F. No – 10/7/2008-EC]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.